अनुबंध

भाग क : बेसल III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21/.06.201/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल 2022

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
1	5.15.3.2	विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है, जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है।	5.15.3.2 रद्द किया गया ~~विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है, जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है।~~
2	5.15.3.5(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड विकल्पों' को शामिल न करें, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या आय का कोई अन्य रूप प्राप्त/वसूली हो गई हो।	क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक सोल्ड विकल्प' को शामिल न करें जो नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम / शुल्क या आय का कोई अन्य रूप प्राप्त / वसूली हो गई हो।
3	8.6.3.1	किसी प्रोटेक्शन खरीददार के प्रति एक प्रोटेक्शन विक्रेता का एक्सपोजर तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामलों में, ट्रेडिंग बुक में सभी एकल नाम लोंग सीडीएस स्थितियों के लिए काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य, अगर सकारात्मक (शून्य, यदि मार्क-टू-मार्केट वैल्यू नकारात्मक है) है तो और नीचे दी गई तालिका के आधार पर संभावित भावी एक्सपोजर ऐड-ऑन कारक के योग के रूप में की जाएगी। हालांकि, ऐड-ऑन को अशोधित प्रीमियम की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा।	किसी प्रोटेक्शन खरीददार के प्रति एक प्रोटेक्शन विक्रेता का एक्सपोजर तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामलों में, ट्रेडिंग बुक में सभी एकल नाम लोंग सीडीएस स्थितियों के लिए काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य, अगर सकारात्मक (शून्य, यदि मार्क-टू-मार्केट वैल्यू नकारात्मक है) है तो और नीचे दी गई तालिका के आधार पर संभावित भावी एक्सपोजर ऐड-ऑन कारक के योग के रूप में की जाएगी। हालांकि, प्रोटेक्शन विक्रेता के लिए जहां सीडीएस की स्थिति नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर है, ऐड-ऑन को अवैतनिक प्रीमियम की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा। बैंकों के पास इस तरह के सीडीएस स्थितियों को अपने कानूनी नेटिंग सेट से हटाने और कैप लागू करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत अनमार्जिन लेनदेन के रूप में मानने का विकल्प है।

भाग ख : पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश-नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) पर मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.4/21.06.001/2015-16 पात्र वित्तीय अनुबंधों का द्विपक्षीय नेटिंग- विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन पर दिनांक 30 मार्च 2021 के परिपत्र विवि.सीएआर.51/21.06.201/2020-21 के अनुबंध 4 के तहत यथासंशोधित

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
1	5.15.3(iv)	निम्न के लिए पूंजी आवश्यकता से छूट की अनुमति है क) विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है; तथा ख) फ्यूचर्स और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले लिखत जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।	निम्न के लिए पूंजी आवश्यकता से छूट की अनुमति है क) रद्द किया गया ~~विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है~~; तथा ख) वायदा और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले उपकरण जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।
2	5.15.4(i)	वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि इन अनुबंधों के वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर और संभावित भविष्य के क्रेडिट एक्सपोजर का योग है। क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड ओप्शन' को हटा सकते हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या आय का कोई अन्य रूप की प्राप्ति/वसूली हो।	वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि इन अनुबंधों के वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर और संभावित भविष्य के क्रेडिट एक्सपोजर का योग है। क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड विकल्प' को हटा सकते हैं जो नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम / शुल्क या आय का कोई अन्य रूप की प्राप्ति/ वसूली की गई हो।
3	8.6.3.1	किसी प्रोटेक्शन खरीददार के प्रति एक प्रोटेक्शन विक्रेता का एक्सपोजर तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामलों में, ट्रेडिंग बुक में सभी एकल नाम लोंग सीडीएस स्थितियों के लिए काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य, अगर सकारात्मक	किसी प्रोटेक्शन खरीददार के प्रति एक प्रोटेक्शन विक्रेता का एक्सपोजर तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामलों में, ट्रेडिंग बुक में सभी एकल नाम लोंग सीडीएस स्थितियों के लिए काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य, अगर सकारात्मक (शून्य, यदि मार्क-टू-मार्केट वैल्यू नकारात्मक है) है तो और नीचे दी गई तालिका के आधार पर

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
		(शून्य, यदि मार्क-टू-मार्केट वैल्यू नकारात्मक है) है तो और नीचे दी गई तालिका के आधार पर संभावित भावी एक्सपोजर ऐड-ऑन कारक के योग के रूप में की जाएगी। हालांकि, ऐड-ऑन को अशोधित प्रीमियम की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा।	संभावित भावी एक्सपोजर ऐड-ऑन कारक के योग के रूप में की जाएगी। हालांकि, प्रोटेक्शन विक्रेता के लिए जहां सीडीएस की स्थिति नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर है, ऐड-ऑन को अशोधित प्रीमियम की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा। बैंकों के पास इस तरह के सीडीएस स्थितियों को अपने कानूनी नेटिंग सेट से हटाने और कैप लागू करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत अनमार्जिन लेनदेन के रूप में मानने का विकल्प है।

भाग ग : मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.004/03.10.119/2016-17 दिनांक 23 अगस्त 2016 – मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

क्र.सं.	**संदर्भ पैराग्राफ**	**मौजूदा पाठ**	**संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)**
1	अनुबंध II का पैरा 3.2 (ii)	क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय एसपीडी 'सोल्ड विकल्पों' को छोड सकते हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या आय का कोई अन्य रूप की प्राप्ति/वसूली हो।	क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय एसपीडी 'सोल्ड विकल्प' को छोड सकते हैं जो नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या आय का कोई अन्य रूप की प्राप्ति/वसूली हो।
2	अनुबंध II का पैरा 6	… इसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट अनुसार संबंधित काउंटरपार्टी पर आरोप्य भार से फिर से गुणा करना होगा। 14 कैलेंडर दिन या उससे कम मूल की परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंध, काउंटरपार्टी पी परवाह किए बिना, अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार "शून्य" जोखिम भार सौंपा जाएगा।	… इसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट अनुसार संबंधित काउंटरपार्टी पर आरोप्य भार से फिर से गुणा करना होगा। ~~14 कैलेंडर दिन या उससे कम मूल की परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंध, काउंटरपार्टी पी परवाह किए बिना, अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार "शून्य" जोखिम भार सौंपा जाएगा।~~
3	अनुबंध II का पैरा 7	सीडीएस से संबंधित लेन-देन के लिए, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी दिनांक 30 नवंबर 2011 के परिपत्र आईडीएमडी. पीसीडी. सं. 2301/ 14. 03.04/2011-12 और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार जारी पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।	सीडीएस से संबंधित लेन-देन के लिए, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी दिनांक 30 नवंबर 2011 के परिपत्र आईडीएमडी. पीसीडी. सं. 2301/ 14. 03.04/2011-12 और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार जारी पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैराग्राफ 5.4.2 के प्रयोजन के लिए, सुरक्षा विक्रेता के लिए संभावित भावी जोखिम (अर्थात, ऐड-ऑन), जहां सीडीएस की स्थिति नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर है, की राशि की सीमा अशोधित प्रीमियम तक तय की जाएगी। इस सीमा को लागू करने के लिए स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी के पास विकल्प है

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
			की ऐसे सीडीएस को अपने कानूनी नेटिंग सेट से हटा ले और उससे व्यवहार एकल गैर-मार्जिन लेन-देन की तरह करे।

भाग घ : पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक पर 1 अप्रैल 2022 का मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.2/09.18.201/2022-23

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>संदर्भ पैराग्राफ</th><th>मौजूदा पाठ</th><th>संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुबंध 1 का पैरा आई.बी (बैलेंस शीट से इतर मदें)</td><td>
<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>लिखत</th><th>ऋण रूपांतरण कारक (%)</th></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध -</td></tr>
<tr><td></td><td>14 कैलेंडर दिनों से कम</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>14 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>लिखत</th><th>ऋण रूपांतरण कारक (%)</th></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध* -</td></tr>
<tr><td></td><td>14 कैलेंडर दिनों से कम</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>14 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr>
</table>
* यदि इस अनुबंध के पैरा II(3) में विनिर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदा मौजूद हैं, तो विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) इस अनुबंध के पैरा II (1.3) (ए) में द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं के लिए प्रदान किया जाएगा और और 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ लागू नहीं होगा।
</td></tr>
</table>

भाग च : अर्हित वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन पर 31 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 के अनुबंध 3 के अनुसार संशोधित- सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार पर 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र आरसीपीडी.आरसीबी.बीसी.सं.37/07.51.012/2014-15

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>संदर्भ पैराग्राफ</th><th>मौजूदा पाठ</th><th>संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)</th></tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>अनुबंध का पैरा आई.बी(बैलेंस शीट से इतर मद)</td>
<td>
<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>लिखत</th><th>ऋण रूपांतरण कारक (%)</th></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध -</td></tr>
<tr><td></td><td>(ए) 14 कैलेंडर दिनों से कम</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>(बी) 14 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>(सी) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>सं.क्र</th><th>लिखत</th><th>ऋण रूपांतरण कारक (%)</th></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध* -</td></tr>
<tr><td></td><td>ए) 14 कैलेंडर दिनों से कम</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>(बी) 14 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>(सी) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr>
</table>

* यदि बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 के अनुबंध 3 के अनुसार द्विपक्षीय नेटिंग दिशानिर्देशों को अपनाया है, तो विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) 31 मार्च 2022 के परिपत्र के अनुबंध 3 में दिए गए अनुसार होगा और और 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ लागू नहीं होगा।
</td>
</tr>
</table>

भाग छ : दिनांक 26 अक्तूबर 2021 का मास्टर निदेश विवि.सीएपी.आरईसी.सं.61/21.01.002/2021-22 दिनांक 26 अक्तूबर 2021- स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (दिशानिर्देश), 2021

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
1	अनुबंध 6 का पैरा ई	2. 14 कैलेंडर दिन या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंध, काउंटर पार्टी की परवाह किए बिना, को "शून्य" जोखिम भार सौंपा जाएगा।	2. 14 कैलेंडर दिन या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंध, काउंटर पार्टी की परवाह किए बिना, को "शून्य" जोखिम भार सौंपा जाएगा। हालांकि, यदि इस अनुबंध के पैराग्राफ ई-4 में निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध मौजूद हैं, तो 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंधों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

भाग ज : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के आवेदन पर दिनांक 28 दिसंबर 2007 के मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरआरबी.सं.बीसी.44/05.03.095/2007-08. यथासंशोधित पात्र वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग पर- विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन पर दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं 97/21.06.201/2021-22 के अनुबंध 5 के अनुसार संशोधित

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>संदर्भ पैराग्राफ</th><th>मौजूदा पाठ</th><th>संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुबंध 1 का पैरा I.ख (तुलन पत्र से इतर मदें)</td><td><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>लिखत</th><th>क्रेडिट परिवर्तन फैक्टर (%)</th></tr><tr><td>10</td><td>मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध -</td><td></td></tr><tr><td></td><td>एक वर्ष से कम</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr></table></td><td><table><tr><th>क्रम.सं</th><th>लिखत</th><th>क्रेडिट परिवर्तन फैक्टर (%)</th></tr><tr><td>10</td><td>मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध* -</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14 कलेंडर दिनों से कम</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>14 दिनों से अधिक लेकिन एक साल से कम</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए</td><td>3</td></tr></table>
* यदि बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 के अनुबंध 5 के अनुसार द्विपक्षीय नेटिंग दिशानिर्देशों को अपनाया है, तो विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए क्रेडिट रूपांतरण कारक (सीसीएफ) 31 मार्च, 2022 के परिपत्र के अनुबंध 5 में दिए गए अनुसार होगा और 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ लागू नहीं होगा।</td></tr>
</table>

भाग झ: मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि नहीं लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
1	अध्याय IV - स्पष्टीकरण II (तुलनपत्र से इतर मदें) - पैरा 3(iv)	पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है - क) विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है; तथा ख) फ्यूचर्स और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले लिखत जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।	निम्न के लिए पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है क) रद्द किया गया~~ विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है~~; तथा ख) वायदा और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले उपकरण जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।

भाग I: मास्टर निदेश विवि.एफ़आईएन.एचएफ़सी.सीसी.सं.120/03.10.136/2020-21 दिनांक 17 फरवरी, 2021 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021

क्र.सं.	संदर्भ पैराग्राफ	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ (ट्रैक चेंच मोड में)
1	6.3.5	पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है - क) विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है; तथा ख) फ्यूचर्स और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले लिखत जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।	निम्न के लिए पूंजी आवश्यकताओं से छूट की अनुमति है क) रद्द किया गया ~~विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) अनुबंध जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन या उससे कम है~~; तथा ख) वायदा और विकल्प एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले उपकरण जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन हैं।